



प्रेस नोट थाना रोजा



जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनांक 04.10.2026

थाना रोजा पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही, हत्या के अभियोग का 24 घंटे में सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर 02 सूजे बरामद ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष रोजा के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र / अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.10.2026 को वादी मुकदमा श्री अवधकिशोर पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर की तहरीर के आधार पर अभियुक्त अरविन्द पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 445/2026 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त अरविन्द के बयान एवं उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 105 बीएनएस की घटोत्तरी करते हुए धारा 103(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना रोजा पुलिस की टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया। इसी क्रम में दिनांक 04.10.2026 को समय 01:05 बजे थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अरविन्द पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को ग्राम जलालपुर की नहर पटरी से जलालपुर की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 सूजे बरामद किये गये। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अरविन्द पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अं0सं0 445/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना रोजा, शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:

दिनांक 04.10.2026 को समय 01:05 बजे अभियुक्त को ग्राम जलालपुर की नहर पटरी से जलालपुर की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण:

घटना में प्रयुक्त 02 सूजे बरामद।

पूछताछ का विवरण:

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अरविन्द पुत्र प्रभुदयाल ने बताया कि उसके ताऊ रामसनेही उसे प्रायः उसकी मांग पर खाना एवं कुछ रुपये दे दिया करते थे, जिनका उपयोग वह नशा करने एवं अपने शौक पूरे करने में करता था। दिनांक 03.10.2026 को भी अभियुक्त ने अपने ताऊ रामसनेही से नशा करने के लिए कुछ रुपये मांगे, जिस पर रामसनेही द्वारा उसे गाली-गलौज करते हुए रुपये देने से मना कर दिया गया। अभियुक्त के अनुसार, वह एवं उसके ताऊ घर में

अकेले रहते थे तथा आए दिन रुपये मांगने को लेकर विवाद होता रहता था। इसी कारण अभियुक्त ने ताऊ रामसनेही को रास्ते से हटाकर रुपये मांगने का विवाद समाप्त करने की योजना बनाई। अभियुक्त ने बताया कि कुछ समय बाद उसके ताऊ घर से निकलकर अपने परिचित विजय के मकान के पास चले गये। अभियुक्त घर में रखे 02 सूजे, जिन्हें उसने कुछ दिन पूर्व बर्फ का काम करने के लिए खरीदा था, अपने साथ लेकर ताऊ रामसनेही को तलाशते हुए विजय के मकान के पास पहुंचा, जहां रामसनेही खड़े मिले। अभियुक्त ने उनके पास जाकर अपने दोनों हाथों में लिये सूजों से उनके ऊपर उल्टे एवं सीधे वार किये, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त दोनों सूजों को अपने पास होना बताया गया, जिनकी निशादेही पर पुलिस द्वारा 02 सूजे बरामद किये गये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री अभिषेक, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री शिवम अग्रवाल, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 693 विनोद कुमार, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2041 सावन मलिक, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 669 लविश रॉव, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर